

मैनुअल संख्या -17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय; प्रकाशित करेगा  
और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में  
अद्यतन करेगा।

h

प्रकाशित ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 द्वारा उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अन्तर्गत उत्तराखण्ड हिन्दी, उर्दू, पंजाबी और लोक भाषा व बोली अकादमी का गठन किया गया है। जिसमें भाषा संस्थान द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में बोली जाने वाली हिन्दी, उर्दू, पंजाबी और लोक भाषा व बोली (गढ़वाली, कुमाऊँनी व जौनसारी) का प्रचार-प्रसार एवं उनके सम्वर्द्धन के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।